Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2025 SHISRRJ | Volume 8 | Issue 1
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

न्यायदृष्टिकोण से स्त्री की स्थिति बनाम आधुनिक कानूनी विश्लेषण

Dr. Mrityunjay Kumar Rai
Assistant Professor, Department of Law, MBSPG College, Gangapur, Varanasi, UP, India
Rajat Kumar Sonker
LL.M. 3rd Semester, MBSPG College, Gangapur, Varanasi, UP, India

Article Info

Accepted : 02 Jan 2025
Published : 15 Jan 2025

Publication Issue :
January-February-2025
Volume 8, Issue 1
Page Number : 220-223

शोधसारांश- यह लेख भारतीय समाज में स्त्री की ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी स्थिति का विश्लेषण करता है। प्राचीन काल में जहाँ स्त्रियों को उच्च दर्जा प्राप्त था, वहीं उत्तर वैदिक और मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। औपनिवेशिक काल में समाज सुधार कों और आंदोलनों ने स्त्री अधिकारों के लिए चेतना जगाई। स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें सामाजिक पहचान दिलाई।

मुख्य शब्द– स्त्री, ऐतिहासिक, सामाजिक, कानूनी, अधिनियम, मानसिकता, न्यायपालिका।

संविधान ने स्त्रियों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार दिए हैं। इसके अलावा कई विशेष कानून–जैसे दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, POSH एक्ट आदि उनके संरक्षण और सशक्ति करण हेतु बनाए गए हैं। न्यायपालिका ने भी ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से स्त्री अधिकारों को मजबूत किया है।–

हालां कि आज की स्त्री कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, परंतु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उसे अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक मानसिकता में बदलाव, कानूनी जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

अंतत:, समाजत भी पूर्ण रूप से विकसित कहलाए गा जब हर स्त्री को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होगी।

इस लेख में किसी पुस्तक का सीधा उल्लेख (बुक का नाम) नहीं किया गया है। हालांकि, कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है, जो इस विषय से संबंधित हैं।

1. प्रस्तावना : भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध देश रहा है जहाँ स्त्री को कभी देवी का रूप माना गया, तो कभी सामाजिक बंदिशों में जकड़ा गया। स्त्रियों की स्थिति समय–समय पर बदलती रही है। यदि एक ओर प्राचीन ग्रंथों में नारी को पूज्य कहा गया है, तो दूसरी ओर इतिहास के कई कालखंडों में उसे दोयम दर्जे का स्थान भी मिला। इस लेख में हम स्त्रियों की स्थिति को न्यायिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि आधुनिक भारत में उन्हें किस प्रकार के कानूनी अधिकार मिले हैं और वे कितनी सशक्त हुई हैं।

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)**

2. प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति :प्राचीन भारत में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं यज्ञों में भाग लेती थीं, वेदों का अध्ययन करती थीं और कई ऋषिकाएं भी प्रसिद्ध थीं – जैसे घोषा, अपाला, लोपामुद्रा। विवाह, शिक्षा और संपत्ति पर उनका अधिकार था।

किन्तु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं ने स्त्रियों को सीमित कर दिया। धार्मिक ग्रंथों की मनमानी व्याख्याओं ने उन्हें पुरुषों पर निर्भर बना दिया।

3. मध्यकाल में स्त्रियों की दशा :मध्यकाल, विशेषत: मुस्लिम शासन काल, स्त्रियों की स्थिति के लिए अधिक दमनकारी साबित हुआ। पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा से वंचितता जैसी कुरीतियाँ व्यापक हो गईं। स्त्रियों को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। यह वह दौर था जब सामाजिक चेतना लगभग सुप्त हो गई थी।

4. औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की स्थिति :ब्रिटिश काल में एक ओर जहाँ स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुधार आंदोलनों ने एक नई चेतना का संचार किया। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त किया गया और विधवाओं को पुन: विवाह की अनुमति मिली।

5. स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों की भागीदारी और अधिकारों की मांग :स्वतंत्रता आंदोलन ने स्त्रियों को सामाजिक और राजनीतिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेन्ट, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में थीं। इस आंदोलन के माध्यम से नारी ने समाज में अपनी भागीदारी सिद्ध की।

6. भारतीय संविधान और स्त्री अधिकार :भारत का संविधान स्त्रियों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में स्त्रियों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 16: रोजगार के अवसरों में समानता
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 39(d): समान कार्य के लिए समान वेतन

इसके अतिरिक्त राज्य को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए।

7. आधुनिक कानूनी प्रावधान और अधिनियम :भारतीय संसद और न्यायपालिका ने समय-समय पर स्त्रियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं:

(क) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

यह अधिनियम दहेज मांगना, देना और लेना सभी को अपराध मानता है।

(ख) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

इस कानून के तहत बाल विवाह को गैर-कानूनी घोषित किया गया है और दोषियों के लिए सज़ा का प्रावधान है।

(ग) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

यह अधिनियम महिलाओं को पारिवारिक हिंसा से सुरक्षा देता है और उन्हें घरेलू हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है।

(घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013 (POSH Act)

यह कानून कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।

(ङ) मातृत्व लाभ अधिनियम

यह अधिनियम महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान छुट्टी और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

8. न्यायपालिका की भूमिका और ऐतिहासिक निर्णय :भारतीय न्यायपालिका ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित किया:

विषाका बनाम राज्य राजस्थान (1997): इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी और विषाका दिशा-निर्देश जारी किए।

शाह बानो केस (1985): इस मामले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया, जो बाद में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना।

न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत सरकार (2017): निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जिससे स्त्रियों को अपनी स्वतंत्र पहचान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली।

सबरीमला मामला (2018): 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई, जो लिंग आधारित भेदभाव पर प्रहार था।

9. आधुनिक युग में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति :आज की स्त्री शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है – राजनीति, विज्ञान, खेल, फिल्म, व्यवसाय, सेना, अंतरिक्ष। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों में स्त्रियों की स्थिति अब भी चिंताजनक है। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं।

10. चुनौतियाँ और सुधार के उपाय :

चुनौतियाँ:

- सामाजिक सोच और मानसिकता में बदलाव की कमी
- कानूनों का सही पालन न होना
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता
- कार्यस्थल पर असुरक्षा

सुधार के उपाय:

- कानूनी जागरूकता अभियान चलाना

- बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य और नि:शुल्क बनाना
- महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान कार्य वातावरण प्रदान करना
- महिला हेल्पलाइन और न्याय तंत्र को अधिक सशक्त करना
- मीडिया और समाज के प्रभावशाली लोगों को सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना

11. निष्कर्ष :स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संविधान, संसद और न्यायपालिका सभी ने मिलकर स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए हैं। फिर भी यह यात्रा अभी अधूरी है। जब तक हर स्त्री को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक हमारा समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं कहा जा सकता।

समाज को चाहिए कि वह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए, स्त्रियों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समान भागीदारी दे। न्यायिक और कानूनी सुधारों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता ही स्त्री की स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. वेद (विशेषत: ऋग्वेद)-प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति समझने के लिए।
2. धर्मशास्त्र/मनुस्मृति-उत्तर वैदिक कालऔर सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका के सन्दर्भ में।
3. भारतीय संविधान-आधुनिक भारत में स्त्रियों को प्राप्त अधिकारों के कानूनी स्रोत के रूप में।
4. विभिन्न अधिनियम (।बजे)-जैसे दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, POSH अधिनियम आदि, जिन्हें भारत की संसद ने पारित किया।